संoसंo–9/आo–01–07/2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डाo राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, तत्कालीन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** के पदस्थापन काल मे अनियमि रूप से पारा मेडिकल कर्मी का स्थानान्तरण करने एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना फर्जी कर्मी को सेवान्त लाभ का भुगतान करने का आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डाo वर्मा** के विरूद्ध अनुबध मे वर्णित आरोपो के लिए बिहार पेशन नियमावली, 1950 के के नियम–43(बीo) के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एव बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बीo) के अधीन **डाo संस्कृति सिन्हा बरियार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डाo वर्मा** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हo/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आo–01–07/2024(स्वाo)......................../ पटना, दिनांक :.....................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **डाo संस्कृति सिन्हा बरियार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

हo/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आo–01–07/2024(स्वाo)....................../ पटना, दिनांक :.....................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हo/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आo–01–07/2024(स्वाo)629(9)/ **पटना, दिनांक :**10.6.25

प्रतिलिपिः–डाo राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, तत्कालीन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना पत्राचार का पता–मोo–दामुचक, वार्ड नंo–28 मजिस्ट्रेट, आवास के पास मुजफ्फरपुर, 842001 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/06/2025

सरकार के अवर सचिव।